

[Shri K.T. Kosalram]

The wood pulp which is being imported by small paper mills should be exempted from customs duties, as has been done in the case of wood chips which are being imported by the large paper mills. This also will lead to increased production of paper.

(vii) **Need for Central assistance to Himachal Pradesh Government for giving compensation to those whose land/houses were acquired for constructing roads**

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल के अन्दर राज्य सरकार द्वारा निर्मित की हुई बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जिन को बने हुए कई वर्ष हो गए हैं। अभी तक काफी सड़कें ऐसी भूमि से निकाल ली गई जिसकी अधिमूचना सरकारी गजपत्र से नहीं की गई और सड़कें हिमाचल के निधन लोगों के बगीचों, मकानों, खेतों को बरबाद करके बनाई गई जिसका करोड़ों रुपया इन किसानों का मुभावजा बनता है। परन्तु राज्य सरकार इसे देने के लिए समर्थ नहीं है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि राज्य सरकार से भारत सरकार इस बारे में व्यौरा लेकर मुआवजों के रकम अदा करने हेतु राज्य सरकार को अनुदान दे कर मदद करें ताकि लोगों को न्याय मिल सके।

(viii) **Need to provide drinking water to the people of Mirzapur, Varanasi and small villages of hilly regions.**

श्री उमाकान्त मिश्र (मिर्जापुर) : पेय-जल जीवन को बुनियादी आवश्यकता है। इसलिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपने बीस सूत्री कार्यक्रमों में इसे स्थान दिया है। उत्तर प्रदेश में 1971-72 में पेयजल की समस्या वाले गांव की एक सूची बनी थी।

उक्त गांवों में पेयजल की आपूर्ति के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। किन्तु बहुत से ऐसे गांव और कस्बे हैं जो अभावग्रस्त गांव की सूची में नहीं आ पाए हैं। कुछ गांव तथा कस्बों में नए कारणों से बाद में समस्या उत्पन्न हो गई है। अतः जो गांव तथा कस्बे पेयजल की समस्या से ग्रस्त हैं उन्हें तत्काल सूची में शामिल करने का निर्देश दिया जाए तथा उन गांवों और कस्बों में पेयजल की आपूर्ति के लिए योजना कार्यान्वित की जाए। जिला मिर्जापुर, वाराणसी के ज्ञानपुर तथा नौगढ़ क्षेत्र एवं बुन्देलखंड में गमियों में अधिकतर क्षेत्रों में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस वर्ष भी ऐसा हो रहा है।

मेरा सरकार से निवेदन है कि पहाड़ी क्षेत्रों के छोटे-छोटे गांवों में एक या आठव्य-कतानुसार अधिक हैंडपम्प और कुओं की व्यवस्था हो। किन्तु घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पाइपलाइन द्वारा पेयजल की व्यवस्था की जावे।

12.29 hrs.

PAYMENT OF GRATUITY
(AMENDMENT) BILL, 1982—Contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now we take up Legislative Business. The House will now take up further consideration of the following Motion moved by Shri Dharmavir on the 24th February, 1984, namely :—

“That the Bill to amend the Payment of Gratuity Act, 1972, be taken into consideration.”

THE MINISTER OF LABOUR AND
REHABILITATION (SHRI VEERENDRA